न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 70/2020

रामसिंह पुत्र भजनलाल जाति बिश्नोई साकिन 25 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

ब ना म

1. अमीलाल पुत्र भजनलाल जाति बिश्नोई साकिन 25 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. अनुसुईया पत्नी अमीलाल जाति बिश्नोई साकिन 25 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया —— प्रार्थी
2. श्री शैलेन्द्र कुमार बिश्नोई —— अप्रार्थी सं. 1 व 2

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 04/08/25

अधिवक्ता प्रार्थी श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश हो चुका है जिसमे प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण संभावना है । प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है ।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 23 एमओडी – द्वितीय के खाता सं. 39 के प.नं. 71263 के किला नं. 7 ता 25 की कुल 4.807 हैक. नहरी म.गै.मु. खाला मे से प्रार्थी की 2.277 हैक, अप्रार्थी सं. 1 की 0.927 हैक., अप्रार्थी सं. 2 की 1.603 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख मे संयुक्त खाता की कृषि भूमि है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1–2 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर में सहदायी एवं सहअंशदायी है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:46:32 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम ... भूमि को वर्तमान राजस्व अभिलेख मे संयुक्त खाता की कृषि भूमि ... भूमि को कोई रास्ता भी स्वीकृत नही है । प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1–2 के मध्य संयुक्त खाता की कृषि भूमि होने के ... आये दिन सींव बट व रकम राज को लेकर पक्षकारान का ...जा बना रहता है और आ... आये दिन लड़ाई झगडे एवं न्यायिक मुकदमेबाजी होती रहती है । प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1–2 के नाम संयुक्त खाता का रकबा होने के कारण एक दूसरे के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी एवं विघ्न पैदा करते हैं । प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1–2 के मध्य रिश्तेदारों व पारिवारिक सदस्यों ने कई बारी पंचायत करवाई लेकिन रकबा संयुक्त खाता का होने के कारण स्थिति आज भी ज्यों

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

की त्यों की है इसिलए प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का अच्छी मंदी व खाला, रास्ता की सुविधानुसार अपना खाता तकसीम अप्रार्थीगण से अलग करवाने का अधिकारी है जो कि प्रार्थी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम की जावे ।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1–2 के नाम से प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित 4.807 हैक्. रकबा संयुक्त खाता का दर्ज होने के कारण तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1–2 का परस्पर कोई घरू बंटवारा नही होने के कारण तथा निर्धारित कब्जा काश्त एवं खाला रास्ता की सुविधा नही होने के कारण पक्षकारान के मध्य परस्पर विवाद एवं लड़ाई झगड़ा बना रहता है इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि ता निस्तारण वाद प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी किया जावे कि ता निस्तारण वाद चक नं. 23 एमओडी–द्वितीय के खाता सं. 39 के प.नं. 7/263 के किला नं. 7 ता 25 की कुल 4.807 हैक्. नहरी म.गै. मु. खाला के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से निम्नलिखित जवाब प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 मे उक्त अनवान वाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत होना स्वीकार हैं परन्तु वाद के सफल होने की सम्भावना से इंकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे होने से इंकारी है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम भूमि दर्ज होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम भूमि राजस्व अभिलेख मे दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी का अलग–अलग परिवार है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 मे दर्ज कथन गलत, तथ्यो के विपरित व आवेदन पत्र का झूठा आधार बनाने के लिए दर्ज किये है जो गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि केवल राजस्व अभिलेख मे किला नं. 1 प्रार्थी व अप्रार्थीगण का है, इस किला नं. 1 मे प्रार्थी ने वाटरटैंक बना रखा है। मुरब्बा नं. 25 के पश्चिम मे मुरब्बा नं. 26 है इस मुरब्बा के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे 1–1 बिस्वा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से है। इस भूमि को प्रार्थी व अप्रार्थी रास्ता के रूप मे उपयोग कर अपनी भूमि काश्त करते है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के लिए सिंचाई व रास्ता की कोई परेशानी नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के लिए सिंचाई खाला व रास्ता पूर्व में ही उपलब्ध है। वादग्रस्त भूमि के किला नं. 25 मे प्रार्थी का सोलर सिस्टम व मुरब्बा नं. 29 के प्रार्थी के किला नं. 5 मे बने वाटरटैंक से प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य हुए विभाजन की पृष्टि होती है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5 मे दर्ज कथन गलत होने से स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ... कर रखा है। प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के लिए खाला, रास्ता की पूर्ण सुविधा ... कोई विवाद किसी किस्म का नहीं है। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं है ... अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डिड खातेदार है और कानूनन रिकार्डिड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:46:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त कथन –यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डिड खातेदार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य भूमि का बंटवारा हो चुका है और प्रार्थी व अप्रार्थी बंटवारा मे प्राप्त संयुक्त है परन्तु काश्त की सहूलियत के लिहाज से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

भूमि विभाजन आज से 20 वर्ष पूर्व ही कर लिया था। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 दोनों सगे भाई है, अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी है। वादग्रस्त भूमि चक 23 एम.ओ.डी. द्वितीय के खाता संख्या 39 पत्थर नं. 7/263 के मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 7 ता 25 की 19 बीघा भूमि मे प्रार्थी की 9 बीघा व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की 10 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड है इस भूमि के अलावा इस भूमि से चिपती पक्षकारान की अन्य भूमि भी है, प्रार्थी व अप्रार्थी की कुल भूमि उपजाऊ भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने काश्त की व्यवस्था व सहूलियत के हिसाब से भूमि का विभाजन कर रखा था। इस भूमि विभाजन में किला नं. 7 ता 16 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को विभाजन मे प्राप्त हुई है और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 किला नं. 7 ता 16 पर काबिज है व किला नं. 17 ता 25 पर प्रार्थी काबिज है, किला नं. 25 मे प्रार्थी ने सोलर सिस्टम लगा रखा है। इस घरेलू विभाजन अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज होकर भूमि काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी मे सीव वट व रकम को लेकर कोई तनाजा नहीं है और न कोई लड़ाई झगड़े एवं मुकदमे बाजी रहती है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण बंटवारा मे प्राप्त अपने अपने कब्जा की भूमि पर काबिज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य रिश्तेदारो व पारिवारिक सदस्यो ने कभी कोई पंचायत नहीं की। प्रार्थी व अप्रार्थी के किला नं. 6, 15, 16, 25 मे से 2–2 बिस्वा मे से सिंचाई खाल चल रहा है और वादग्रस्त भूमि के किला नं. 25 में सिंचाई के लिए नाका बना हुआ है। वादग्रस्त मुरब्बा नं. 16 के दक्षिण मे चक 25 एम.ओ.डी. का मुरब्बा नं. 25 है। मुरब्बा नं. 25 का अपने–अपने कब्जा की भूमि पर काबिज होने फसल काश्त कर रहे है। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया केस बनता है, न सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है, न अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थी ने प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू साबित भी नहीं किया है। इस तथ्यों के अभाव प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य है।

यह कि वादग्रस्त भूमि के अलावा वादग्रस्त भूमि के दक्षिण व पश्चिम में चक 25 एम. ओ.डी. की कृषि भूमि है। वादग्रस्त मुरब्बा नं. 16 के दक्षिण में चक 25 एम.ओ.डी. का मुरब्बा नं. 25 हैं और मुरब्बा नं. 25 का किला नं. 1 प्रार्थी व अप्रार्थीगण का है। मुरब्बा नं. 25 के पश्चिम में मुरब्बा नं. 26 है, मुरब्बा नं. 26 सड़क से चिपता हुआ है। मुरब्बा नं. 25 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा रास्ता के लिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण की है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मुरब्बा नं. 25 की भूमि रास्ता के रूप मे उपयोग कर अपनी वादग्रस्त भूमि काश्त करते है। प्रार्थी ने जानबूझकर उक्त भूमि को छुपाया है और महत्वपूर्ण तथ्य छुपाकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है ऐसी सूरत मे प्रार्थना पत्र मेटेरियल फैक्ट कन्सील करने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

–::आदेश::–

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त का विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ता फैसला दावा तक स्थाई व्ययादेश जारी हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी ने जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है और महत्वपूर्ण तथ्य छुपाकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है ऐसी सूरत मे प्रार्थना पत्र मेटेरियल फैक्ट कन्सील करने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य हैं। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृश्टांतो का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:46:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 14.08.2020 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 04/08/25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:46:32 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा